

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सपठित शुद्धि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या-1535/36-11(सा0)/05, दिनांक: 21-11-2013 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें जो मासिक की आधार पर निर्धारित की गयी है, उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामोण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986-87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 676 अंको के ऊपर जुलाई, 2020 से दिसम्बर 2020 तक के औसत अंक 1046.50 के पूर्णांकित औसत 1047 अंको पर दिनांक: 01-4-2021 से दिनांक: 30-9-2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा-  
दृष्टान्त:-रूपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1047 पर दिनांक: 1.4.2021 से दिनांक: 30.9.2021 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:-

(1047-676)

X 4550=2497.04 प्रतिमाह

676

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है:-

कर्मक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में		दिनांक: 1.4.2021 से दिनांक: 30.9.2021 तक	
			दिनांक: 1.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक	दिनांक: 1.4.2021 से दिनांक: 30.9.2021 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें, (रूपये में)	दैनिक मजदूरी दरें, (रूपये में)
1	अकुशल	4550.00	6865	2497.04	7047.04	271.04
2	अर्द्ध-कुशल	5200.00	7846	2853.76	8053.76	309.76
3	कुशल	6200.00	9355	3402.56	9602.56	369.32

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 391-417 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15

दिनांक 21/05/2021

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अचगत कराये श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
- अनुसचिव उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (वेज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल [wagecell@nic.in](mailto:wagecell@nic.in) के माध्यम से
- अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त, (आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- अपर श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित
- विभागीय वेबसाइट [www.uplabour.gov.in](http://www.uplabour.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।